भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3037

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई योजनाओं तक डिजिटल पहुंच

3037. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चेवेल्ला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में युवा रोजगार और उद्यमिता पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजनाओं के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में एमएसएमई के लिए स्थिरता, ऋण पहुंच और बाजार संपर्कों के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या चेवेल्ला के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी-समर्थित इकाइयों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर निगरानी करने के लिए कोई तंत्र है;

(घ) क्लस्ट-आधारित विकास को समर्थ बनाने के लिए चेवेल्ला में एमएसएमई अवसंरचना और सामान्य सुविधा केंद्रों को मजबूत करने हेतु क्या विशिष्ट पहल की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच एमएसएमई योजनाओं के बारे में जागरूकता, आवेदन संबंधी सहायता और डिजिटल पहुँच में सुधार के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(च) उक्त क्षेत्र में समय पर निधि के संवितरण, विलंबित भुगतानों के समाधान और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए सहायता सुनिश्चित करने हेतु राज्य/जिला अभिकरणों के साथ किस सीमा तक समन्वय किया गया है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतत रोज़गार के अवसर सृजित करने हेतु नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए ऋण-संबद्ध सब्सिडी स्कीम, पीएमईजीपी का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों, अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक, तेलंगाना के रंगा रेड्डी ज़िले, जिसमें चेवेल्ला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, में सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोज़गार सृजन का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	**सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)**	**अनुमानित रोज़गार सृजन**
2022-23	203	1074.70	1624
2023-24	222	1193.32	1776
2024-25	233	1247.70	1864

(ग): चेवेल्ला सहित देश भर में पीएमईजीपी समर्थित इकाइयों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर नज़र रखने के उपाय निम्नलिखित हैं:

i. पीएमईजीपी के अंतर्गत, बैंक परियोजनाओं का तकनीकी और आर्थिक, दोनों ही दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण देने का अपना निर्णय लेते हैं। इसमें परियोजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और सततता का मूल्यांकन भी शामिल है।

ii. ii. पीएमईजीपी इकाइयों के कार्य-निष्पादन और इकाइयों की सततता को प्रभावित करने वाले कारकों पर तीसरे पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए जाते हैं।

iii. पीएमईजीपी इकाइयों को प्रदर्शनियों, केवीआईसी बिक्री केंद्रों और ई-कॉमर्स पोर्टल (https://www.ekhadiindia.com) के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन सहायता प्रदान की जाती है, जो कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता और निरंतर जुड़ाव को बढ़ावा देती है।

(घ): नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) और अवसंरचना विकास (आईडी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए, एमएसएमई मंत्रालय का सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों के सामान्य मुद्दों का समाधान करते हुए उनके समग्र विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। यह एक मांग-आधारित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टरों की साझा आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव भेजती हैं। अब तक, 229 सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) और 361 अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं सहित कुल 590 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

(ङ): देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच एमएसएमई स्कीम के प्रति जागरूकता, आवेदन समर्थन और डिजिटल पहुंच में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय एससी-एसटी हब स्कीम (एनएसएसएच) के अंतर्गत, देश के विभिन्न स्थानों और उन स्थानों/क्षेत्रों में जहाँ एससी/एसटी जनसंख्या अधिक है, कोङ्क्लेव, विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं, जहाँ उनके स्थान पर ही उन्हें पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान की जाती है।

ii. 'यशस्विनी' जागरूकता अभियान का उद्देश्य एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न स्कीम के बारे में मौजूदा और आकांक्षी महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता प्रसार करना और उन्हें पथ-प्रदर्शन सहायता, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान करना है।

iii. पीएमईजीपी के अंतर्गत निम्नलिखित पहलें की जाती हैं:

   क) पिछड़े और कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

ख) आवेदनों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा अस्वीकृतियों को कम करने के लिए, आवेदन चरण के दौरान भावी पीएमईजीपी लाभार्थियों को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और बैंक अधिकारियों (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया गया है।

ग) भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।

घ) जनवरी, 2024 से लाभार्थियों से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में वास्तविक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

ङ) विभिन्न उद्योगों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के 1,000 से अधिक मॉडल तैयार किए गए हैं और उन्हें पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

(च): पीएमईजीपी के अंतर्गत, राज्य/जिला एजेंसियों के साथ निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से समन्वय किया जाता है:

i. कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य केवीआईबी, राज्य जिला उद्योग केंद्रों और वित्तीय संस्थानों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें।

ii. ऋणों की उचित संस्वीकृति और मार्जिन मनी के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर बैंकर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iii. स्कीम के कार्य-निष्पादन की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) द्वारा तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****